तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विजय बनाम तहसीलदार उच्चैन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/3/26	पत्रावली पेश हुइ, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 06/04/26 को पेश हो।	
6/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 20/4/26 को पेश हो।	
20/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 24/4/26 को पेश हो।	
24/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 06/5/26 को पेश हो।	
6/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8/5/26 को पेश हो।	
8/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

RPU

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 22/2022

1. विजन पुत्र निन्नुराम जाति जाट निवासी बसैरी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय दिनांकः—08.05.2026

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 28/0.02, 29/0.19, 30/2.99 वाके ग्राम अंधियारी एवं खसरा नम्बर 215/0.32, 940/0.04, 941/0.73, 24/0.25 बाके ग्राम बसेरी तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी मुझ प्रार्थी को मेरे पिता स्वर्गीय निन्नूराम से जरिये विरासतन प्राप्त हुयी है। दौराने नामान्तरकरण मुझ प्रार्थी का सही नाम विजन ही दर्ज किया गया था परन्तु जब नामान्तरकरण से जमाबन्दी में विरासत का अमल किया गया तो वक्त अमल जमाबंदी मुझ प्रार्थी का नाम विजन के स्थान पर कहीं विजयसिंह कहीं विजेन्द्रसिंह एवं कहीं विजन्दरसिंह दर्ज कर दिया गया। दिनांक 28.12.2021 को जब में प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी को रहन रख केसीसी बनबाने हेतु बैंक गया तो जमाबंदी में दर्ज अशुद्ध नाम के संबंध में जानकारी हुयी। जिसकी शुद्धि बाबत् जब प्रार्थी ने तहसीलदार उच्चैन से निवेदन किया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से शुद्धि के आदेश करा कर लाने को कहा जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव दिनांक 29.07.2025 एवं दिनांक 25.09.2025 पेश कर निवेदन किया कि हाल जमाबंदी सम्बत् 2075—78 बाके ग्राम बसेरी राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी खसरा नम्बर 24 के विजन्दर सिंह पुत्र निन्नू हि. 9/40, खसरा नम्बर 215 में विजन्दर पुत्र निन्नू हि. 1/40 एवं खसरा नम्बर 940, 941 में बिजन्दर पुत्र निन्नू हि. 27/800 जाति जाट सा. देह दर्ज रिकार्ड है। आधार वर्ष संवत् 2074—2074 वाके ग्राम बसेरी जमाबंदी अनुसार भी उक्त खसरा नम्बरानों में इन्द्राज समान रूप से दर्ज रिकार्ड है। ग्राम वसेरी के मजमेआम में जानकारी करने पर उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि विजन्दर पुत्र निन्नू जाति जाट और विजन पुत्र निन्नू जाति जाट एक ही व्यक्ति के नाम है अर्थात् विजन्दर पुत्र निन्नू ही विजन पुत्र निन्नू है। इसी प्रकार दिनांक 25.09.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता संख्या 79 में वादी का नाम बृजेन्द्र सिंह पुत्र निन्नू है तथा खाता संख्या 80 में विजयसिंह पुत्र निन्नू जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। ग्राम बसेरी के मजमेआम में जानकारी करने पर उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि बृजेन्द्र सिंह पुत्र निन्नू जाति जाट व विजयसिंह पुत्र निन्नू जाति जाट व विजन पुत्र निन्नू जाति जाट एक ही व्यक्ति के नाम है अर्थात बृजेन्द्रसिंह पुत्र निन्नू व विजयसिंह पुत्र निन्नू ही विजन पुत्र निन्नू है। बृजेन्द्रसिंह पुत्र निन्नू जाति जाट व विजयसिंह पुत्र निन्नू जाति जाट और विजन पुत्र निन्नू जाति जाट एक ही व्यक्ति है। अतः बृजेन्द्रसिंह पुत्र निन्नू व विजयसिंह पुत्र निन्नू के स्थान पर विजन पुत्र निन्नू राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किये जाने योग्य है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी के पिता निन्नू राम की मृत्यू के पश्चात् खोले गये विरासत के नामान्तरकरण एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 28/0.02, 29/0.19, 30/2.99 वाके ग्राम अंधियारी प्रार्थी का नाम विजयसिंह पुत्र निन्नू एवं बृजेन्द्रसिंह पुत्र निन्नू के स्थान पर विजन पुत्र निन्नू एवं 215/0.32, 940/0.04, 941/0.73, 24/0.25 बाके ग्राम बसेरी में विजन्दरसिंह पुत्र निन्नू के स्थान पर विजन पुत्र निन्नू दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न शपथ पत्र, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 बाके ग्राम अंधियारी एवं बसेरी, एवं बाके ग्राम अंधियारी के नामन्तरकरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपी का अवलोकन किया गया। पहचान दस्ताबेज आधार कार्ड, बोटर आईडी एवं राशन कार्ड का अवलोकन किया गया उक्त सभी दस्ताबेजात में प्रार्थी का नाम विजन दर्ज है। तहसीलदार उच्चैन से दिनांक दिनांक 29.07.2025 एवं दिनांक 25.09.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण रजिस्टर में प्रार्थी का नाम विजन दर्ज है एवं तहसीदार उच्चैन विजयसिंह, बृजेन्द्रसिंह, विजन्दर सिंह एवं विजन एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है एवं राजस्व रिकार्ड में शुद्धि की अभिशंषा की है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 28, 29 बाके ग्राम अंधियारी में प्रार्थी का नाम विजयसिंह पुत्र निन्नूसिंह के स्थान पर विजन पुत्र निन्नूसिंह एवं आराजी खसरा नम्बर 30 बाके ग्राम अंधियारी में वृजेन्द्रसिंह पुत्र निन्नू के स्थान पर विजन पुत्र निन्नूसिंह एवं आराजी खसरा नम्बर 215, 940, 941 वाके ग्राम बसेरी में विजन्दरसिंह पुत्र निन्नू के स्थान पर विजन पुत्र निन्नूसिंह शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)